



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता																	
सुल तान मियां, पिता - फचु मियां, , जाति- शोख, निवासी- निवासी निज ग्राम पत्रालय कल्याण पुर																	
जिला का नाम		धनबाद		अंचल का नाम		गोविन्दपुर		हलका का नाम		हलका-03		मौजा का नाम		कुर्मीडीह		खाता का रैयती प्रकार	
खेवट नम्बर		खाता नम्बर		179		धाना का नाम		धाना नम्बर		87							
खाता नम्बर	खेसरा नम्बर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति		हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस		लगान			खास शर्त				
(1)	(2)	(3)	कियारी संख्या (5)			(8)	(9)	रौ (10)	आ (11)	पै (12)	(13)						
1378	?	निज ?	गोडा 1 0	0.000	6.000	एकड़	डिसमील										
1380	?	हैदत ?	गोडा 1 0	0.000	2.000	एकड़	डिसमील										
1847	?	अ० वि० स० ?	दोन एक 0	0.000	14.000	एकड़	डिसमील										
2031	?	तुलसी ?	कानाली 0	0.000	11.000	एकड़	डिसमील										
1226	?	तुलसी मो० ?	कानाली 0	0.000	20.000	एकड़	डिसमील										
1229	?	अ० वि० स० ?	गोडा 2 0	0.000	11.000	एकड़	डिसमील										
2201	?	चंड मोहन ?	बहाल 0	0.000	44.000	एकड़	डिसमील										
2209	?	- ? -	वांध 0	0.000	2.000	एकड़	डिसमील										
1282	?	पदाड ?	गोडा 2 0	0.000	43.000	एकड़	डिसमील										
1283	?	निज ?	कानाली 0	0.000	36.000	एकड़	डिसमील										
179	2389	?	कानाली 0	1.000	3.000	एकड़	डिसमील	0	0	0							क
	2394	?	कानाली 0	0.000	17.000	एकड़	डिसमील										
	1285	?	कानाली 0	0.000	9.000	एकड़	डिसमील										
	1523	?	गोडा 2 0	0.000	12.000	एकड़	डिसमील										
	2606	?	वांध 0	0.000	30.000	एकड़	डिसमील										
	2607	?	दोन एक 0	0.000	92.000	एकड़	डिसमील										
	2308	?	वांध 0	0.000	22.000	एकड़	डिसमील										
	2610	?	कानाली 0	0.000	43.000	एकड़	डिसमील										
	1146	?	कानाली 0	0.000	2.000	एकड़	डिसमील										
	1150	?	कानाली 0	0.000	20.000	एकड़	डिसमील										
	2204	?	वांध 0	0.000	6.000	एकड़	डिसमील										
खाता मे कुल प्लोट संख्या			21	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)			5.000	38.000	खाता का कुल लगान			0	0	0			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।